A

(22)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

प्रशासकीय सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1544–दो/2010, विरूद्ध आदेश दिनांक 03–08–2010 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त सागर संभाग, सागर द्वारा प्रकरण कमांक 603/अ–12/2006–07

....

कन्छेदीलाल ब्रहमभट्ट वल्द स्व0 बाबूलाल ब्रहमभट्ट
निवासी–भगत सिंह वार्ड सागर
तहसील व जिला सागर, म0प्र0

.... आवेदक

विरूद्ध

मूर्ति श्री चैतन्य महाप्रभु मंदिर
द्वारा विनोद कुमार तनय हरगोविन्द्र चौबे,
निवासी–दयानंद वार्ड, तहसील व जिला सागर, म0प्र0

.... अनावेदक

....

श्री अमित ब्रहमभट्ट, अभिभाषक, आवेदक
श्री विनोद चौबे, स्वयं, अनावेदक

....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 11/12/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत न्यायालय अपर आयुक्त सागर संभाग, सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 03–08–2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक विनोद चौबे द्वारा प्रस्तुत आवेदन के आधार पर सागर खास स्थित भूमि खसरा नं0 238/40 का सीमांकन तहसीलदार सागर द्वारा गठित दल द्वारा किया गया व प्रस्तुत राजस्व निरीक्ष के प्रतिवेदन

को त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर पुनः सीमांकन करना आदेशित किया । तदोपरांत गठित दंल द्वारा सीमांकन कर प्रतिवेदन, नक्शा फील्ड बुक सहित प्रस्तुत किया गया, जिसे तहसीलदार सागर ने पारित आदेश दिनांक 27.10.2006 द्वारा स्वीकार कर लिया । अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.10.2006 से असंतुष्ट होकर आवेदक द्वारा पुनरीक्षण अथवा निगरानी अपर कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अपर कलेक्टर ने न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक 21/अ–12/2006–07 पंजीबद्ध कर, पारित आदेश दिनांक 07.05.2007 द्वारा निगरानी निरस्त कर दिया । अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.05.2007 से परिवेदित होकर आवेदक द्वारा अपर आयुक्त सागर संभाग, सागर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की, जो प्रकरण क्रमांक 603/अ–12/2006–07 पर दर्ज होकर पारित आदेश दिनांक 03.08.2010 से निगरानी निरस्त कर दी गई । उक्त पारित आदेश दिनांक 03.08.2010 से व्यथित होकर आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष पेश की गई है ।

3/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा लिखित तर्को में मुख्य रूप से यह बताया गया है कि अधीनसी न्यायालय को यह देखना चाहिये था कि, क्या सीमांकन के संबंध में संहिता, 1959 में बनाये गये नियमों का पालन तहसीलदार द्वारा किया गया है अथवा नहीं ? सीमांकन के लिये स्थायी चिन्हों का होना आवश्यक है, यदि बिना स्थायी चिन्हों के सीमांकन किया जाता है तो वह स्थिर नहीं रखा जा सकता । संहिता की धारा 124 में स्थायी सीमा चिन्हों के स्वरूप विहित किये गये हैं । पटवारी नक्शा में चांदा खसरा नं0 205, 215 एवं 262 मौके पर विद्यमान है एवं नजूल शीट के चांदा मौके पर विद्यमान नहीं है । इस संबंध में राजस्व निरीक्षक द्वारा पंचनामा भी पेश किया गया था, किन्तु इसके बावजूद भी सीमांकन की कार्यवाही की गई । सीमांकन खसरा नं0 238/40 की लोकेशन नहीं बतायी गयी है, जो स्पष्ट की जाना चाहिये थी । बिना लोकेशन के बटांक नं0 238/40 की लोकेशन को कायम नहीं रखा जा सकता क्योंकि नियमानुसार स्थायी सीमा चिन्ह होना चाहिये या प्राचीन चिन्हों के आधार पर सीमांकन किया जाना चाहिये । सीमांकन करते समय आस–पास के भूमि स्वामियों को सूचना नहीं दी गयी, जो नियमानुसार आवश्यक है । प्रतिपक्ष द्वारा विवादित सीमांकन के आधार पर पुनरीक्षणकर्ता के विरूद्ध अतिक्रमण हटाये जाने बाबत् व्यवहार वाद जिला न्यायाधीश सागर के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जो चतुर्थ जिला न्यायाधीश सागर द्वारा खारिज कर दिया गया है । विवादित सीमांकन में खसरा नं0 207, 208, एवं 239 एवं शासकीय खसरा नं0 199 को

गोदा स्थापित करते समय उपयोग में लाया गया है, जबकि इन नम्बरों के भूधारियों को कोई सूचना नहीं दी गयी, जो नियमानुसार आवश्यक था । प्रतिपक्ष की ओर से तर्कों में कहा गया है कि, आवेदक पक्ष का यह कहना है कि, सीमांकन एक प्रशासनिक कार्यवाही है और उसमें पारित आदेश के विरूद्ध अपील अथवा पुनरीक्षण ग्राह्य नहीं है, सही नहीं है क्योंकि सीमांकन बिना सीमा चिन्हों के किया गया है । इस संबंध में सीमांकन प्रतिवेदन में लेख कर स्थिति को स्पष्ट किया गया है । सीमांकन हेतु आसपास सीमा चिन्हों की उपलब्धता न होने की स्थिति में खसरा नं0 207 एवं 208 की पूर्व की ओर की मेड़ का जो नक्शें में एवं मौके पर समान भी थी, के ''ए'' स्थान से खसरा नं0 238 की ओर बढ़ाकर गोदा ''बी'' कायम किया । ''ए'' स्थान से खसरा नं0 207 में स्थित कुंए की ओर चलकर गोदा ''डी'' कायम किया एवं गोदा ''डी'' से खसरा नं0 239 की पश्चिम दिशा तरफ की मेड़ जो बामनखेड़ी की एवं शासकीय भूमि खसरा नं0 199 रास्ता के तिमेड़ा की ओर चलकर गोदा ''सी'' कायम किया गया तथा ''डी–सी'' लाईन पर गोदा ई कायम किया गया । तदउपरांत द्वारा सीमांकन आदेश विधि अनुरूप पारित किया गया है । नक्शा शीट में 238 / 40 की आकृति अंकित हैं सीमांकन राजस्व निरीक्षक एवं अन्य द्वारा उपस्थित पंचों के समक्ष किया गया है । हितबद्ध पक्षकारों को सूचना दी गई है । दिवानी वाद में सीमांकन की कार्यवाही को निरस्त नहीं किया गया है । लिखित तर्क में यह भी कहा गया है कि अपर आयुक्त सागर संभाग सागर द्वारा पुनरीक्षण में सीमांकन के सम्बंध में उठाये गये कानूनी बिन्दुओं पर बिना विचार किये आवेदक द्वारा प्रस्तुत पुनरीक्षण को अवैधानिक रूप से निरस्त कर दिया गया है । न्यायालय अपर आयुक्त सागर संभाग सागर ने भूमि के सीमांकन के सम्बंध में तहसीलदार सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.10.2006 एवं अपर कलेक्टर सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.05.2007 की विधिक त्रुटियों को बिना देखे ही एवं म0प्र0 भू0 राजस्व संहिता, 1959 में भूमि सीमांकन के सम्बंध में दिये गये मेन्डेटरी प्रावधान का अवलोकन किये बिना ही आदेश पारित किया गया है । तहसीलदार सागर द्वारा अनावेदक मूर्ति श्री चैतन्य महाप्रभू मंदिर सागर द्वारा सीमांकन कराये जाने हेतु प्रस्तुत आवेदनपत्र पर, अनावेदक की भूमि का सीमांकन मौके पर चांदा, मुनारे, चीरा, स्थायी सीमा चिन्हों के अभाव में, मनमाने ढंग से सीमांकन के नियमों का पालन किये बिना अनावेदक की भूमि का सीमांकन कर दिया गया, जो विधि विरूद्ध एवं कानूनन मान्य किंये जाने योग्य नहीं है । अपर आयुक्त सागर संभाग सागर ने प्रकरण के रिकार्ड पर प्रस्तुत न्यायालय चतुर्थ अपर जिला न्यायाधीश सागर द्वारा व्यवहार वाद क्रं0 43–ए / 2009 में पारित निर्णय

एवं डिक्री दिनांक 16.11.2009 जो खसरा नं0 238 / 40 के रकबा के स्वत्व के सम्बंध में पारित की गयी है । उक्त निर्णय एवं डिक्री को मान्य न कर गंभीर विधिक त्रुटि की हुयी है । उक्त निर्णय की कंडिका क्रं0 20 एवं 21 में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सीमांकन की कार्यवाही को पूर्णतः विधि विरूद्ध घोषित किया गया है । विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि, सिविल न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री राजस्व न्यायालय को बंधनकारी होगी । अंत में आवेदक के अधिवक्ता द्वारा अपर आयुक्त सागर संभाग, सागर तथा तहसीलदार सागर द्वारा पारित आदेश निरस्त करते हुये निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया है ।

4/ अनावेदक स्वयं ने लिखित तर्कों में यह बताया गया है कि निगरानी में जो आधार लिए गए है वह विधि सम्मत नहीं है । तीन समक्ष अधिकारिता वाले न्यायालयों द्वारा विधि एवं तथ्यों को गम्भीरता से चिंतन–मनन करने के पश्चात कानून, तथ्यों एवं विधि की विस्तृत विवेचना करने के उपरांत निम्न न्यायालयों के आदेश पारित किए गए हैं । इनमें किसी प्रकार की कोई भूल नहीं की गई है इसलिए निम्न न्यायालयों के आदेशों को परिवर्तित करने की कतई आवश्यकता भी नहीं है । निम्न न्यायालयों की कानक्रेन्ट फाइंडिंग है विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि दो निम्न न्यायालयों की एक सी फाइंडिंग है विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि दो निम्न न्यायालयों की एक सी फाइंडिंग / निष्कर्ष होने की दशा में माननीय उच्च एवं सर्वोच्च न्यायालय को दृष्टिगत रखते हुए परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचारणीय पक्ष यह है कि क्या सीमांकन की कार्यवाही विधिवत की गई है अथवा नहीं । सीमांकन की कार्यवाही में मध्यप्रदेश भू0 राजस्व संहिता का विधिवत पालन किया गया है अथवा नहीं । संहिता के प्रावधानों के तहत सीमांकन के लिए जो नियम बनाए गए हैं उन नियमों के अंतर्गत सीमांकन हुआ है या नहीं । न्यायालय तहसीलदार सागर के समक्ष अनावेदक की ओर से एक आवेदन पत्र मौजा सागर खास स्थित खसरा नंबर 238 / 40 तहसील व जिला सागर स्थित भूमि का सीमांकन हेतु प्रस्तुत किया गया था । जिस संबंध में राजस्व निरीक्षक ने सीमांकन कर अपना प्रतिवेदन दिया था इस सीमांकन प्रतिवेदन पर आपत्ति होने पर तथा तहसीलदार द्वारा सीमांकन प्रतिवेदन त्रुटि पूर्ण पाए जाने पर एक कमेटी का गठन कर पुनः सीमांकन कराने की कार्यवाही की गई थी । जिसमें कई पटवारी राजस्व निरीक्षक आदि के द्वारा विधिवत सह खातेदार / पड़ोसियों को सूचना दी गई थी जिसमें पुनरीक्षणकर्ता आवेदक भी सम्मिलित है । लिखित तर्क में यह भी बताया गया है कि

तहसीलदार द्वारा गठित दल द्वारा विधिवत सीमांकन कर फील्ड बुक तथा पंचनामा एवं प्रतिवेदन तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जिसमें तहसीलदार द्वारा दिनांक 24.10.2006 स्वीकृत किया गया था । तहसीलदार सागर के समक्ष किसी प्रकारक की कोई आपत्ति नहीं की गई थी । इस प्रकार तहसीलदार द्वारा पारित आदेश एक विधिवत आदेश है । इसमें किसी प्रकार की कोई परिवर्तन संशोधन की आवश्यकता नहीं है । तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.10.2006 से व्यथित होकर पुनरीक्षणकर्ता द्वारा एक रिवीजन कलेक्टर सागर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जिसका प्रकरण क्र0 21/अ—12/2006—07 था । जिसमें कलेक्टर द्वारा विधिवत सुनवायी करते हुए प्रकरण का विस्तृत अध्ययन, विवेचन करने के उपरांत दिनांक 07.05.2007 को आदेश पारित कर पुनरीक्षण याचिका निरस्त कर दी गई थी । कलेक्टर द्वारा तहसीलदार द्वारा किसी प्रकार की कोई विधिक भूल या अनियमितता होना नहीं पाई गई थी । न्यायायलय अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.05.2007 से व्यथित होकर कंछेदीलाल द्वारा अपर आयुक्त सागर के समक्ष पुनरीक्षण प्रस्तुत किया गया था । जिसका प्रकरण क्र0 603/अ/2006—07 था इस प्रकरण में पुनरीक्षणकर्ता के अधिवक्ता श्री आर0पी0 राव, को अपर आयुक्त द्वारा विधिवत तर्क श्रवण करने के उपरान्त 3 अगस्त 2010 को आदेश पारित किया गया था । अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश पूर्णतः विधिसम्मत है । अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश स्पीकिंग आर्डर की श्रेणी का है । अपर आयुक्त द्वारा अपने आदेश की कंडिका 5 में सीमांकन के संबंध में की गई कार्यवाही का विधिवत विवेचन किया है । उन्होंने अपने आदेश में स्पष्ट लेख किया है कि सीमांकन के प्रतिवेदन में लेख स्थिति पूर्णतः स्पष्ट है । सीमांकन हेतु आसपास सीमा चिन्ह न होने की दशा में खसरा नं0 207 एवं 208 की पूर्व की ओर की मेढ़ को बढ़ाकर नक्शे एवं मौके पर समान थी इसी कारण से गठित दल द्वारा मध्यप्रदेश भू0—राजस्व संहिता के प्रावधानों के तहत खसरा नं0 238 की ओर बढ़ते हुए एक को कायम किया गया था जो कि सीमांकन के लिए आवश्यक एवं नियमानुसार है । इसी प्रकार खसरा नंबर 199 रास्ते से तिमेड़ा की ओर चलकर गोदा भी कायम किया गया था । जो गठित दल द्वारा प्रतिवेदन, फील्डबुक और नक्शा दिया गया है इनमें इन समस्त तथ्यों का उल्लेख है । गठित दल द्वारा पंचों के समक्ष विधिवत सूचना देने के उपरांत सीमांकन की कार्यवाही की गई है । सीमांकन की कार्यबाही हितबद्ध पक्षकारों को दी गई थी तथा हितबद्ध पक्षकार सीमांकन की कार्यवाही के समय मौके पर उपस्थित भी थे जिनमें अपीलार्थी स्वयं भी था । अपील ज्ञापन में जिन खसरा नंबरों की

मेड़ तथा तिगड्डा को सीमांकन कार्यवाही में आधार बनाया गया है उनके भूमि स्वामी न तो व्यथित व्यक्ति थे और न ही हितबद्ध पक्षकार थे इसलिए उन्हें सूचना दिए जाने की आवश्यकता नहीं थी । विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि सीमांकन की कार्यवाही में हितबद्ध या प्रभावित पक्षकारों को सूचना दी जाना आवश्यक होता है यह समस्त कार्यवाही सीमांकन अधिकारी द्वारा पूर्णतः की गई थी। तहसीलदार द्वारा विधि सम्मत रूप से सीमांकन का आदेश पारित किया गया था वरिष्ठ पटवारी एवं राजस्व निरीक्षक द्वारा अपने सहयोगियों के सहयोग से विधि रूप से मौके पर उपलब्ध जो चिन्ह पाए गए थे मिलान करने के उपरांत किया गया जो विधि सम्मत था । निरीक्षण के समय अपीलार्थी द्वारा कोई आपत्ति भी नहीं की गई थी इससे यह स्पष्ट है कि वह सीमांकन की कार्यवाही से संतुष्ट था । सीमांकन प्रतिवेदन से कोई भी व्यक्ति व्यथित नहीं होता है बल्कि प्रकरण की वास्तविक स्थिति का निराकरण एवं निर्धारण होता है । गठित दल द्वारा पुनरीक्षणकर्ता का अनाधिकृत/बेजा कब्जा होना पाया गया था । सीमांकन के संबंध में आपत्ति न्यायालय श्रीमान चतुर्थ अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के समक्ष लंबित प्रकरण क्र0 43 अ/9 पक्षकार मूर्ति श्री चैतन्य महाप्रभुजी मंदिर बनाम कन्छेरीलाल में भी उठायी गई थी । वह आपत्तियां भी निराधार, असत्य, बेबुनियाद थी । चतुर्थ अतिरिक्त जिला न्यायाधीश द्वारा भी सीमांकन कार्यवाही को अवैध एवं शून्य घोषित नहीं किया गया है । इस प्रकार सीमांकन की कार्यवाही की पुष्टि सिविल कोर्ट द्वारा भी की गई है लेकिन अपने निर्णय में सीमांकन का खसरा नंबर 238/40 को गलत बताया गया है जो वास्तव में मनगढ़न्त अनुमान है । प्रक्रिया अनुसार भूखण्ड के नामांतरण के बाद बटांक का जो सीरियल होता है उसके बाद का ही अगला नंबर बटांक कर दिया गया है और यह बढ़ते क्रम में बनाया जाता है न कि पिछले खसरा/बटांक के नंबरो के अनुसार, ठीक इसी आधार पर गुरूधाम मंदिर का बटांक नंकर 238/40 जो नक्शें में कायम है बनाया गया है । नक्शाशीट में खसरा नंबर 238/40 की आकृति अंकित है वह नियमानुसार जांच उपरान्त आदेश पारित की गई है एवं उक्त खसरे का ही सीमांकन किया गया है । रिवीजनकर्ता को बटांक के संबंध में यदि कोई आपत्ति थी तो वह एस0डी0ओ0 राजस्व न्यायालय में कार्यवाही कर सकता था परन्तु यह कार्यवाही भी नहीं की गइ है इस संबंध में बटांक के विरूद्ध या अन्य कोई अपील कहीं अन्य न्यायालयों में नहीं की जाती है । इसलिए यह आपत्ति भी गलत और बेबुनियाद है । इस कारण से सीमांकन की कार्यवाही को इस न्यायालय के समक्ष नहीं उठाया जा सकता है तथा यह पुनरीक्षण अब प्रचलन योग्य भी नहीं है । संहिता की धारा

दल द्वारा सीमांकन किया गया था । पुनरीक्षणकर्ता द्वारा तहसीलदार के समक्ष गठित दल के संबंध में विधिवत आपत्ति करना थी तथा आपत्ति के संबंध में अपनी साक्ष्य या गठित दल का प्रतिपरीक्षण सक्षम न्यायालय में कराना था, परन्तु पुनरीक्षणकर्ता द्वारा न तो आपत्ति की गई और न ही साक्ष्य प्रस्तुत की गई । ऐसी दशा में वह सीमांकन प्रतिवेदन आपत्ति के अभाव में अंतिम हो गया है उस पर बाद में आपत्ति नहीं उठायी जा सकती । पुनरीक्षणकर्ता द्वारा व्यवहार वाद के संबंध में जो आपत्ति की गई है वह व्यवहार बाद की अपील माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है जिसका प्रकरण क्र0 एफ ए नंबर 764/2009 है । माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 09.12.2009 में पारित आदेश द्वारा यथास्थिति बनाए जाने बावत पारित किया है । यह अपील माननीय उच्च न्यायालय में वर्तमान में लंबित है । माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 1.10.2010 के आदेश की प्रति संलग्न है । पुनरीक्षणकर्ता द्वारा इस पुनरीक्षण याचिका में जो पुनरीक्षण के आधार लेख किए गए है वही पुनरीक्षण के आधार द्वारा अपर कलेक्टर सागर के राज्स्व प्रकरण क्र0 21/अ–12/2006–07 में एवं न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त सागर संभाग के यहां प्रस्तुत पुनरीक्षण क्रं0 603/अ–12/2006–07 में उठाए गए थे । दोनों निम्न न्यायालयों द्वारा उक्त पुनरीक्षणों में पारित आदेशों में विधिवत रूप से विवेचना कर ही आदेश पारित किए गए है । दोनों निम्न न्यायालयों के आदेश समवर्ती है । इसलिए निम्न न्यायालयों के आदेश में हस्तक्षेप किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है । अंत में अनावेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश स्थिर रखते हुए निगरानी खारिज किये जाने का निवेदन किया गया है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा पारित आदेशों का सूक्ष्मता से अध्ययन किया गया । विचारण न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन सीमांकन चार व्यक्तियों–दो पटवारी, राजस्व निरीक्षक तथा नजूल राजस्व निरीक्षक के दल द्वारा किया गया है । दिनांक 17.10.2006 को किये गये सीमांकन के लिये जो स्थल पंचनामा तैयार किया गया है इसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि आवेदक कन्छेदी उपस्थित थे लेकिन हस्ताक्षर करने से मना किया । इससे स्पष्ट है कि सीमांकन आवेदक की उपस्थिति में हुआ है । अतः इस सम्बन्ध में उसकी आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं है ।

6/ सीमांकन प्रतिवेदन में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि स्थाई सीमा चिन्हों की अनुउपलब्धता होने से किस प्रकार चेक लाईन डालकर अस्थाई चिन्ह(गोदा) बनाए गए

तथा सीमांकन किया गया । इस कार्यवाही में किस प्रकार की अनियमितता है अथवा सीमांकन नियमों के किन नियमों का उल्लंघन हुआ है अथवा पालन नहीं हुआ है, यह स्पष्ट रूप से आवेदक रेखांकित नहीं कर पाए है । जहॉ तक दीवानी न्यायालय के आदेश का प्रश्न है, उसमें सीमांकन के सम्बन्ध में कोई ऐसा निर्णय नहीं है, जिससे सीमांकन की कार्यवाही प्रभावित होती हो। तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष है, जिन्हें इस निगरानी में फेरफार करने के पर्याप्त आधार उपलब्ध नहीं है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में यह निगरानी आधारहीन होने से अमान्य की जाती है ।

(मनोज गोयल)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर